



सूचना का अधिकार मामला / समयबद्ध

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली

27 नवम्बर 2018

सं. ई/551/ 1 /2018-आरटीआई

सेवा में,

श्री पवन कुमार,

रफी मार्ग, आईएनएस बिल्डिंग,

प्रथम टल, कमरा संख्या - 105,

नई दिल्ली - 110001

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत माँगी गई सूचना

महोदय,


कृपया प्रधानमंत्री कार्यालय को संबोधित अपने आरटीआई आवेदन दिनांक 13 मार्च 2018 का संदर्भ लें, जिसे प्रोटोकॉल के डिप्टी चीफ (सी) पत्र संख्या डीआई / 551/1/2018 के द्वारा उत्तरित किया गया है तथा बिंदु संख्या 4 के उत्तर देने के लिए अघोहस्ताक्षरित सीपीआईओ को प्रेषित किया गया है।

2. आपके द्वारा बिंदु संख्या 4 पर माँगी गई जानकारी चीन के संदर्भ में निम्नानुसार है:-

प्रधानमंत्री के विदेश दोरों में हस्ताक्षरित संधियों की जानकारी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट www.mea.gov.in के "जावक यात्राएं" प्रभाग में उपलब्ध हैं।

3. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर डॉ अमित तेलंग, निदेशक (पूर्व एशिया) एवं अपीलीय प्राधिकारी, विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110011 को अपील दायर कर सकते हैं।

भवदीय



(प्रसन्न श्रीवास्तव)

उप सचिव (चीन), एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. श्रीमती दीपा जैन, अवर सचिव (आरटीआई), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

9024/JS(EA)/18
22.11.18

0000/101/11/18
22/11/18



विदेश मंत्रालय
प्रोटोकॉल १ प्रभाग
नई दिल्ली
दूरभाष- ४९०१६६४६/४७
फैक्स: ४९०१६६४५

सं. डीआई/५५१/१/२०१८

सेवा में

श्री पवन कुमार

रफ़ी मार्ग, आईएनएस बिल्डिंग,

प्रथम तल, कमरा संख्या- १०५,

नई दिल्ली- 11001

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ के तहत मांगी गयी सूचना.

महोदय,

कृपया सीपीआईओ, प्रधानमंत्री कार्यालय को संबोधित आरटीआई अधिनियम, २००५ के तहत दायर किये गए दिनांक १३.०३.२०१८ के अपने आवेदन का संदर्भ लें जिसमें आपने भारत के प्रधानमंत्री के विदेशी यात्राओं के बारे में जानकारी मांगी है। बिंदु संख्या २ से ६ तक कर्म रूप से जानकारी निम्न है।

२. भारत के प्रधानमंत्री के आधिकारिक विदेशी यात्राओं पर उनके साथ चयनित सुरक्षाकर्मी, सरकारी अधिकारी, सहायक, चिकित्सक आदि कार्यात्मक आधार पर जाते हैं। विदेशी यात्राओं के दौरान ये सभी अधिकारी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के अनुसार अपने अपने कार्य का पालन करते हैं। कई स्थितियों के तहत, ये अधिकारी अपना कार्यवहन करते समय प्रधानमंत्री के निकट सामीप्य में होते हैं। इन परिस्थितियों में इन अधिकारियों के बारे में सूचना के प्रकटीकरण से निश्चित तौर पर भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं तथा किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

आपको यह सूचना दी जा रही है की मांगी गयी सूचना संवेदनशील स्वरूप के होने के साथ-साथ भारत की संप्रभुता और अखंडता तथा किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा होने से संबंध रखती है। इस आलोक में तथा संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाये रखने से संबंधित आरटीआई अधिनियम के प्रस्तावना में स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उल्लेखनीय है की इस मामले पर आगे कोई जानकारी का प्रकटीकरण उस श्रेणी में आता है जिसकी वजह से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं तथा किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है, अतः इसके लिए आरटीआई अधिनियम, २००५ की धारा ८(१) (क) व ८(१) (ख) का प्रावधान किया गया है।

3. प्रधानमंत्री और उनके साथ गये मंत्रियों, अधिकारियों, सुरक्षाकर्मियों और कर्मचारियों के विदेशी दौरों के दौरान कर्च हुई धनराशी का ब्योरा इस विभाग में उपलब्ध नहीं है। तदनुसार, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा ६(३) के तहत इस आवेदन का स्थानान्तरण श्रीमती दीपा जैन, अवर सचिव (आरटीआई) को उचित निपटान के लिए किया जा रहा है।


४. प्रधानमंत्री जी के विदेशी यात्राओं के दौरान हुवे समझौते के विषय में जानकारी इस विभाग में उपलब्ध नहीं है। तदनुसार, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा ६(३) के तहत इस आवेदन का स्थानान्तरण श्रीमती दीपा जैन, अवर सचिव (आरटीआई) और तैरिऑरिअल विभागों को उचित निपटान के लिए किया जा रहा है।

५. मई २०१४ से फरवरी २०१८ तक की विदेशी देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के भारतीय दौरों के बारे में जानकारी पब्लिक डोमेन https://mea.gov.in/incoming-visits.htm?1/incoming_visits पर उपलब्ध है।

६. हर साल, भारत सरकार, भारत की यात्रा पर कई विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी करती है। ये यात्राओं प्रकृति, उद्देश्य, वर्गीकरण, प्रतिनिधिमंडल की संरचना, आतिथ्य की पेशकश एवं स्वीकार किए जाने की मात्रा, शहरों का दौरा आदि में भिन्न हो सकती हैं और यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रत्येक यात्रा अद्वितीय है। ऐसी परिस्थितियों में, भारत सरकार द्वारा इस तरह की यात्राओं पर खर्च की गई राशि स्वाभाविक रूप से प्रत्येक यात्रा में भिन्न होती है, और वास्तविक राशि के बावजूद एक संवेदनशील मुद्दा है। ऐसी संवेदनशील जानकारी का प्रकटीकरण निश्चित रूप से भारत के विदेशी संबंधों के प्रति पूर्वाग्रह है।

आपको यह सूचित किया जाता है कि अनुरोध की गई जानकारी प्रकृति में संवेदनशील है, बशर्ते कि इसमें विदेशी राज्यों के साथ संबंध शामिल है। इस प्रकाश में और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता के संरक्षण के संबंध में आरटीआई अधिनियम की प्रस्तावना में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यह कहा गया है कि इस मामले पर किसी भी और जानकारी का खुलासा उस श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसका खुलासा विदेशी राज्यों के साथ संबंधों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, और इसलिए आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (ए) के प्रावधान को आकर्षित करता है।

७. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इस पत्र के प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर श्री संजय वर्मा, प्रोटोकॉल प्रमुख एवं अपीलीय प्राधिकारी, विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली के पास अपील दायर कर सकते हैं।


(मयंक सिंह) 19/04/20

उप प्रोटोकॉल प्रमुख (सी)/सीपीआईओ

प्रति प्रेषितः

१. श्री संजय वर्मा, प्रोटोकॉल प्रमुख एवं अपीलीय प्राधिकारी
२. श्रीमती दीपा जैन, अवर सचिव (आरटीआई), आरटीआई प्रकोष्ठ, विदेश मंत्रालय
३. श्री किशोर बंदोपाध्याय, अवर सचिव और सीपीआईओ, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

प्रति प्रेषितः

१. श्री सुधाकर दलेला, संयुक्त सचिव(नार्थ), कमरा संख्या 161, साउथ ब्लॉक, विदेश मंत्रालय, दूरभाष- 23793241
२. श्री पार्थ सत्पथी, संयुक्त सचिव (लैक), कमरा संख्या 1119, विदेश मंत्रालय, दूरभाष- 49018385
३. श्री प्रणय वर्मा, संयुक्त सचिव (इए), कमरा संख्या 174, साउथ ब्लॉक, विदेश मंत्रालय, दूरभाष- 23012038
४. श्री गौरंगलाल दास, संयुक्त सचिव (ए एम एस), कमरा संख्या 179, साउथ ब्लॉक, विदेश मंत्रालय, दूरभाष- 23792070.
५. श्री विक्रम दोरेस्वामी, संयुक्त सचिव (बी एम), कमरा संख्या 144 बी, साउथ ब्लॉक, विदेश मंत्रालय, दूरभाष- 23015192
६. श्री मनीष, संयुक्त सचिव (साउथ), कमरा संख्या 3009, विदेश मंत्रालय, दूरभाष- 49015244
७. श्रीमती नीना मल्होत्रा, संयुक्त सचिव (इ एंड एस ए), कमरा संख्या 0127, विदेश मंत्रालय, दूरभाष- 49018400
८. श्री के नागराज नायडू, संयुक्त सचिव (यूरोप वेस्ट), कमरा संख्या 161 सी, साउथ ब्लॉक, विदेश मंत्रालय, दूरभाष- 23014416
९. श्री मनीष प्रभात, संयुक्त सचिव (यूरेशिया), कमरा संख्या 183 ए, साउथ ब्लॉक, विदेश मंत्रालय, दूरभाष- 23013410
१०. डॉ. टी. वी. नागेन्द्र प्रसाद, संयुक्त सचिव (गल्फ), कमरा संख्या 2129, विदेश मंत्रालय, दूरभाष- 49018480
११. डॉ. अंजू कुमार, संयुक्त सचिव (सैंट्रल यूरोप), कमरा संख्या 3079, विदेश मंत्रालय, दूरभाष- 49015565
१२. डॉ. दीपक मित्तल, संयुक्त सचिव (पाई), कमरा संख्या 149 बी, साउथ ब्लॉक, विदेश मंत्रालय, दूरभाष- 23015060
१३. श्री संजय पांडा, संयुक्त सचिव (आई ओ आर), कमरा संख्या 70, साउथ ब्लॉक, विदेश मंत्रालय, दूरभाष- 23012591
१४. डॉ. बी. बाला भास्कर, संयुक्त सचिव (वाना), कमरा संख्या 77 बी, साउथ ब्लॉक, विदेश मंत्रालय, दूरभाष- 23014367
१५. श्री आर. रविन्द्र, संयुक्त सचिव (वेस्ट अफ्रीका), कमरा संख्या 2089, साउथ ब्लॉक, विदेश मंत्रालय, दूरभाष- 49018431

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी,

प्रधानमंत्री कार्यालय,

भारत सरकार। नई दिल्ली।

विषय : सूचना के अधिकार कानून-2005 के तहत निम्नलिखित बिन्दुओं की जानकारी दें।

प्रश्न 1. मई-2014 से फरवरी-2018 तक प्रधानमंत्री ने कितने देशों की यात्रा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विदेश में कितने दिन बिताए। सभी देशों के नाम और वहां रहने की अवधि अलग-अलग बताएं।

प्रश्न 2. प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान उनके साथ गए मंत्रियों, अधिकारियों, सुरक्षाकर्मियों और कर्मचारियों की भी संख्या बताएं, हर दौरे पर गए अधिकारियों, सुरक्षाकर्मियों और कर्मचारियों की संख्या अलग-अलग बताएं।

प्रश्न 3. प्रधानमंत्री और उनके साथ गए मंत्रियों, अधिकारियों, सुरक्षाकर्मियों और कर्मचारियों के विदेश जाने-आने, वहां रहने, खाने-पीने और अन्य चीजों पर हुए भारत सरकार के खर्च का विस्तृत ब्योरा हर दौरे का अलग-अलग दें।

प्रश्न 4. प्रधानमंत्री ने जिन देशों की भी यात्रा की उस दौरान वहां से कौन-कौन से और कितने समझौते हुए, हर देश से हुए समझौतों की संख्या और जिस विषय पर समझौता हुए उसकी विस्तृत जानकारी दी जाए।

प्रश्न 5. मई-2014 से फरवरी-2018 तक किन-किन देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वहां के मंत्री भारत में सरकारी दौरे पर आए, इस दौरान किस देश से कितने और किन-किन विषयों पर समझौते हुए इसकी विस्तृत जानकारी दें।

प्रश्न 6. विदेशों से आए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वहां के मंत्री की भारत यात्रा पर भारत सरकार की ओर से उनके रहने, घूमने, खाने-पीने, सुरक्षा व अन्य विषयों पर कितनी राशि खर्च की गई, इसकी जानकारी दें।

प्रश्न 7. मई-2014 से फरवरी-2018 तक भारत सरकार की ओर से कितने मंत्री विदेश दौरे पर गए ? मंत्रियों के साथ गए अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, हर दौरे की अलग-अलग दें।

प्रश्न 8. मंत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के विदेश जाने-आने, वहां रहने और खाने-पीने पर भारत सरकार की ओर से हुए खर्च का ब्यौरा हर देश और हर दौरे का अलग-अलग दें। मंत्रियों के विदेश में रहने की अवधि भी बताएं। किस देश में कितने दिन मंत्री रहे, इसकी अलग-अलग जानकारी दें।

प्रश्न 9. मंत्रियों के हर सरकारी विदेश दौरे का उद्देश्य (किस कार्यक्रम में शामिल होने गए थे) भी बताएं।

पवन कुमार

रफी मार्ग, आईएनएस बिल्डिंग, प्रथम तल, कमरा संख्या-105,

नई दिल्ली-110001. मोबाइल संख्या-9899360621

ईमेल-आईडी-mr.pawan.k@gmail.com